

न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्ता, गुमला

अनुमति वाद संख्या - 550/19-20

3

सनिमर उरव

आवेदक

बनाम

कालेन मिंज

विपक्षी

आदेश

आवेदक/आवेदिका/आवेदकगण श्री/श्रीमती सनिमर उरव

पिता/पति स्व. बुधवा उरव निवास,

ग्राम खोसो थाना गुमला जिला गुमला ने निम्नांकित विवरणी की भूमि बिक्री करने हेतु अनुमति के निमित्त छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के अन्तर्गत एक आवेदन पत्र समर्पित किया है। उक्त आवेदन के आधार पर अनुमति वाद प्रारम्भ किया गया।

भूमि का विवरण

| राजस्व<br>ग्राम | थाना का नाम<br>एवं संख्या | खाता<br>संख्या     | प्लॉट<br>संख्या | रकबा<br>(एकड़)                      |
|-----------------|---------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|
| <u>खोसो</u>     | <u>गुमला</u><br><u>46</u> | <u>28</u>          | <u>74</u>       | <u>0.38 एकड़</u><br><u>0.10 एअर</u> |
|                 |                           | <u>(दस डिसमील)</u> |                 |                                     |

आवेदित भूमि को आवेदक/आवेदिका/आवेदकगण प्रस्तावित कता श्री/श्रीमती कालेन मिंज पिता/पति कुस रंजी मिंज निवासी ग्राम पाटा थाना गुमला जिला गुमला को राशि रुपये 1,20,000/- एक लाख बीस हजार (₹) पर बिक्री करने का तय किया है। आवेदक/आवेदिका/आवेदकगण को मकान बनाने/इलाज हेतु/हर बैल खरीदने हेतु रुपये की आवश्यकता है, रुपये आने का अन्य कोई अन्य श्रोत नहीं रहने के कारण ही आवेदक/आवेदिका/आवेदकगण भूमि की बिक्री कर रहे है। अंचलाधिकारी गुमला को भेजते हुए जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई, एवं आम ईशतेहार निर्गत किया गया। अंचलाधिकारी गुमला के कार्यालय के पत्रांक 40 दिनांक 02/7/2020 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है, जिसके द्वारा आवेदक/आवेदिका/आवेदकगण को जमीन बिक्री करने के लिए अनुमति

प्रदान करने हेतु अनुशंसा की गई है। आम सूचना के तामिला के बावजूद अभी तक किसी की ओर से किसी प्रकार की कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। आवेदित भूमि पर आवेदक/आवेदिका/आवेदकगण का शांतिपूर्ण दखल कब्जा है। उक्त भूमि की बिक्री के बाद भी आवेदक/आवेदिका/आवेदकगण के पास पर्याप्त भूमि शेष बचता है। आवेदक/आवेदिका/आवेदकगण का वक्तव्य उनके विज्ञ अधिवक्ता के पहचान पर अभिलिखित किया गया। आवेदक/आवेदिका/आवेदकगण ने अपने वक्तव्य में कहा है कि वह भूमि उनकी खतियानी/खरीदनी एवं दखल हिस्से की है। आवेदित भूमि विवाद रहित है। साथ ही गैरमजरुआ आम/खास भूमि बन्दोबस्ती भू-हदबन्दी भूदान, वनसीमा, एवं भू-अर्जन इत्यादि से मुक्त है। दोनों पक्ष अनुसूचित जनजाति समुदाय के अन्तर्गत जाति के उराँव हैं, साथ ही एक ही थाना के निवासी हैं।

अतः अंचल अधिकारी गुमला के जाँच प्रतिवेदन में निहित अनुशंसा के आधार पर निम्नांकित विवरण की भूमि को आवेदक/आवेदिका/आवेदकगण श्री/श्रीमती सुनिमर उराँव पिता/पति स्व. बुधवा उराँव निवासी ग्राम सोसो थाना गुमला जिला गुमला को उपरोक्त वर्णित राशि रूपये अथवा जिला निबंधन कार्यालय के मार्गदर्शिका में अंकित बाजार मूल्य दोनों में जो अधिक हो पर बिक्री करने हेतु विपक्षी के साथ छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के अन्तर्गत एतद् द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है।

**भूमि का विवरण**

| राजस्व ग्राम | थाना का नाम एवं संख्या | खाता संख्या | प्लॉट संख्या | रकबा (एकड़)                            |
|--------------|------------------------|-------------|--------------|--|
| <u>सोसो</u>  | <u>गुमला 46</u>        | <u>28</u>   | <u>74</u>    | <u>0.38 एम.से</u><br><u>0.10 एम.से</u> |

(मुल दस डिस्मील)

चौहदी - उत्तर- मानिगा मिंज  
पूरब- केच्चा रास्ता

दक्षिण- व्याप्तिका उराँव का क्षेत्र  
पश्चिम- व्याप्तिका उराँव का क्षेत्र

लेखापित एवं संशोधित

भूमि सुधार उप-समाहर्ता,  
गुमला।

भूमि सुधार उप-समाहर्ता,  
गुमला।